

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग-04

संख्या: 89 /XXX(4)/2018-04(01)/2018

देहरादून, दिनांक: 08 मार्च, 2018

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा, 2017 में सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी श्रीमती विजयलक्ष्मी विहान, को उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु महानिबंधक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पत्र संख्या 443/XIII-b-1/Admin.A/2017, दिनांक 01 फरवरी, 2018 के माध्यम से संस्तुति की गयी है।

2- महानिबंधक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की संस्तुति एवं उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 2004 एवं यथा संशोधित नियमावली, 2016 के नियम 22(2) में प्रावधानित व्यवस्थानुसार, श्रीमती विजयलक्ष्मी विहान को उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा में वेतनमान 51550-1230-58930-1380-63070 ग्रेड वेतन 8900 पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- श्रीमती विजयलक्ष्मी विहान को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्षों की अवधि के लिये श्री राज्यपाल परिवीक्षा में रखते हैं।

4- श्रीमती विजयलक्ष्मी विहान का तैनाती आदेश मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पृथक से निर्गत किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)

प्रमुख सचिव

संख्या: 89 /XXX(4)/2018-04(01)/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेरार्य मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
- 2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- महानिबंधक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 4- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल।
- 6- श्रीमती विजयलक्ष्मी विहान को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे पत्र प्राप्त होने के उपरान्त तत्काल महानिबंधक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय से सम्पर्क स्थापित करते हुए कार्यभार ग्रहण करे, कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई भत्ता देय नहीं होगा।
- 7- एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)

अपर सचिव